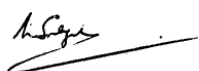


समझौता ज्ञापन

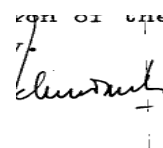
1. भारत सरकार और इतालवी गणराज्य की सरकार के प्रतिनिधिमंडलों के बीच 16 अक्टूबर 1972 से 19 अक्टूबर 1972 तक रोम में अंतर-सरकारी परामर्श आयोजित किए गए।
2. प्रतिनिधिमंडलों की सूची परिशिष्ट क में दी गई है।
3. दोनों प्रतिनिधिमंडलों ने परिशिष्ट ख में 16 जुलाई 1959 को दिनांकित पत्रों के आदान-प्रदान के स्थान पर एक पत्रों का आदान-प्रदान तैयार किया। यह सहमति हुई कि परिशिष्ट ख में दिए गए पत्रों का औपचारिक रूप से यथाशीघ्र आदान-प्रदान किया जाएगा। ऐसे आदान-प्रदान के लंबित रहने तक, उसमें उल्लिखित व्यवस्थाएँ 1 अप्रैल 1973 से प्रभावी होंगी।

रोम, 19 अक्टूबर 1972

.d.



भारत सरकार के
प्रतिनिधिमंडल की ओर से सहमत



इटली सरकार के
प्रतिनिधिमंडल की ओर से

भारतीय प्रतिनिधिमंडल

1. श्री एन. सहगल
भारत सरकार के सचिव
पर्यटन और नागरिक उड्डयन मंत्रालय
2. श्री बी. एस. गिडवानी
नागरिक उड्डयन के उप-महानिदेशक
3. श्री यू. सी. सोनी
भारतीय दूतावास में कार्यवाहक राजनयिक
4. एयर मार्शल एम. एस. चतुर्वेदी
प्रबंध निदेशक, Air India
5. श्री एन. दस्तूर
क्षेत्रीय प्रबंधक, एअर इंडिया
6. श्री जे. पी. डे एंड्राडे
वाणिज्यिक प्रबंधक, अंतरराष्ट्रीय संबंध, एअर इंडिया
7. श्री ए. सी. महाजन
प्रबंधक, रोम, एअर इंडिया

इतालवी प्रतिनिधिमंडल

1. जनरल. एस. ए. एफ. शांतिनी
हवाई समझौतों के लिए इतालवी प्रतिनिधिमंडल के अध्यक्ष
2. श्री डिकुसिओनी
परामर्शदाता, विदेश मंत्रालय

3. श्री आई. किरसीटो
इंटरनेशनल रिलेशंस ब्यूरो के प्रमुख, परिवहन और नागरिक उड्डयन मंत्रालय
4. श्री आर. ली बस्सी
इंटरनेशनल रिलेशंस ब्यूरो, परिवहन और नागरिक उड्डयन मंत्रालय
5. सुश्री ए. इन्सीक्को
विदेश मंत्रालय
6. श्री. आर. सेन्सियारेल्ली
अंतरराष्ट्रीय समझौता प्रबंधक, अलीतालिया
7. श्री. ए. एमोर
अंतरराष्ट्रीय समझौता समन्वयक, अलीतालिया
- 2.

महोदय,

इटली सरकार और भारत सरकार के बीच 16 जुलाई 1959 को रोम में हस्ताक्षरित हवाई सेवा समझौते के अनुच्छेद VI के पैराग्राफ 5 के संदर्भ में, मुझे उक्त अनुच्छेद के पैराग्राफ 1, 2, 3 और 4 की व्याख्या तथा अनुप्रयोग के संबंध में भारत सरकार की समझ को निम्नलिखित रूप में दर्ज करने का सम्मान प्राप्त है:

क. इटली सरकार और भारत सरकार के प्रतिनिधिमंडलों ने अपनी-अपनी नामित एयरलाइनों के पक्ष में निम्नलिखित परिचालन पैटर्न पर सहमति व्यक्त की।

इटली सरकार द्वारा नामित एयरलाइन निम्नलिखित परिचालन कर सकती है:

i) 1 अप्रैल 1973 से 31 मार्च 1974 की अवधि के लिए:

- क) साप्ताहिक 2 डीसी10 मिश्रित सेवाएँ
- ख) साप्ताहिक 4 डीसी8 मिश्रित सेवाएँ
- ग) साप्ताहिक 1 डीसी8 मालवाहक सेवा

अथवा

- क) साप्ताहिक 3 डीसी10 मिश्रित सेवाएँ
- ख) साप्ताहिक 3 डीसी8 मिश्रित सेवाएँ
- ग) साप्ताहिक 1 डीसी8 मालवाहक सेवा

ii) 1 अप्रैल 1974 से 31 मार्च 1975 की अवधि के लिए:

- क) साप्ताहिक 6 डीसी10 मिश्रित सेवाएँ
- ख) साप्ताहिक 1 डीसी8 मालवाहक सेवा

2.

भारत सरकार द्वारा नामित एयरलाइन निम्नलिखित परिचालन कर सकती है:

i) 1 अप्रैल 1973 से 31 मार्च 1974 की अवधि के लिए:

5 Boeing 747 की साप्ताहिक मिश्रित सेवाएँ।

ii) 1 अप्रैल 1974 से 31 मार्च 1975 की अवधि के लिए:

क) 5 बोइंग 747 की साप्ताहिक मिश्रित सेवाएँ

ख) 1 बोइंग 707 की साप्ताहिक मालवाहक सेवा।

ख. दोनों प्रतिनिधिमंडल इस बात पर भी सहमत हुए कि संविदाकारी पक्षों के वैमानिक प्राधिकरण 1974 में मिलेंगे और 1 अप्रैल 1975 के बाद की अवधि के लिए उनकी नामित एयरलाइनों के अधिकारों का निर्धारण करेंगे। यदि वैमानिक प्राधिकरण बैठक नहीं करते हैं या उनके बीच असहमति होती है, तो यहाँ निर्धारित अधिकार प्रभावी रहेंगे।

ग. दोनों प्रतिनिधिमंडल इस बात पर भी सहमत हुए कि भारत सरकार और इटली सरकार के बीच हवाई सेवाओं से संबंधित समझौते के परिशिष्ट के अनुभाग II में कलकत्ता के स्थान पर नई दिल्ली को रखा जाएगा।

दोनों प्रतिनिधिमंडल इस बात पर सहमत हुए कि 16 जुलाई 1959 को हस्ताक्षरित पत्रों का आदान-प्रदान आज की तारीख से वर्तमान पत्रों के आदान-प्रदान द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।

मुझे आपसे विनम्रतापूर्वक यह पुष्टि करने का अनुरोध करने का सम्मान है कि यह भी इटली सरकार की समझ है।

भवदीय

महोदय,

मुझे आज की तारीख के आपके पत्र, जिसका पाठ निम्नलिखित है, का संदर्भ देने का सम्मान प्राप्त है:

“इटली सरकार और भारत सरकार के बीच 16 जुलाई 1959 को रोम में हस्ताक्षरित हवाई सेवा समझौते के अनुच्छेद VI के पैराग्राफ 5 के संदर्भ में, मुझे उक्त अनुच्छेद के पैराग्राफ 1, 2, 3 और 4 की व्याख्या तथा अनुप्रयोग के संबंध में भारत सरकार की समझ को निम्नलिखित रूप में दर्ज करने का सम्मान प्राप्त है:

क. इटली सरकार और भारत सरकार के प्रतिनिधिमंडलों ने अपनी-अपनी नामित एयरलाइनों के पक्ष में निम्नलिखित परिचालन पैटर्न पर सहमति व्यक्त की।

इटली सरकार द्वारा नामित एयरलाइन निम्नलिखित परिचालन कर सकती है:

i) 1 अप्रैल 1973 से 31 मार्च 1974 की अवधि के लिए:

- क) साप्ताहिक 2 डीसी10 मिश्रित सेवाएँ
- ख) साप्ताहिक 4 डीसी8 मिश्रित सेवाएँ
- ग) साप्ताहिक 1 डीसी8 मालवाहक सेवा

अथवा

- क) साप्ताहिक 3 डीसी10 मिश्रित सेवाएँ
- ख) साप्ताहिक 3 डीसी8 मिश्रित सेवाएँ
- ग) साप्ताहिक 1 डीसी 8 मालवाहक सेवा

ii) 1 अप्रैल 1974 से 31 मार्च 1975 की अवधि के लिए:

- क) साप्ताहिक 6 डीसी 10 मिश्रित सेवाएँ
- ख) साप्ताहिक 1 डीसी8 मालवाहक सेवा

भारत सरकार द्वारा नामित एयरलाइन निम्नलिखित परिचालन कर सकती है:

i) 1 अप्रैल 1973 से 31 मार्च 1974 की अवधि के लिए:

5 बोइंग 747 की साप्ताहिक मिश्रित सेवाएँ।

ii) 1 अप्रैल 1974 से 31 मार्च 1975 की अवधि के लिए:

क) 5 बोइंग 747 की साप्ताहिक मिश्रित सेवाएँ

ख) 1 बोइंग 707 की साप्ताहिक मालवाहक सेवा।

ख. दोनों प्रतिनिधिमंडल इस बात पर भी सहमत हुए कि संविदाकारी पक्षों के वैमानिक प्राधिकारी 1974 में मिलेंगे और 1 अप्रैल 1975 के बाद की अवधि के लिए उनकी नामित एयरलाइनों के अधिकारों का निर्धारण करेंगे। यदि वैमानिक प्राधिकारी बैठक नहीं करते हैं या उनके बीच असहमति होती है, तो यहाँ निर्धारित अधिकार प्रभावी रहेंगे।

ग. दोनों प्रतिनिधिमंडल इस बात पर भी सहमत हुए कि भारत सरकार और इटली सरकार के बीच हवाई सेवाओं से संबंधित समझौते के परिशिष्ट के अनुभाग II में कलकत्ता के स्थान पर नई दिल्ली को रखा जाएगा।

दोनों प्रतिनिधिमंडल इस बात पर सहमत हुए कि 16 जुलाई 1959 को हस्ताक्षरित पत्रों का आदान-प्रदान आज की तारीख से वर्तमान पत्रों के आदान-प्रदान द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।

मुझे आपसे विनम्रतापूर्वक यह पुष्टि करने का अनुरोध करने का सम्मान है कि यह भी इटली सरकार की समझ है।”

मुझे यह पुष्टि करने का सम्मान प्राप्त है कि उपर्युक्त बात इटली सरकार की समझ को भी दर्शाती है।

भवदीय